FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

L.D. Case No.- 211/2024

Surynarayan Yadav ....Appellant.

Versus

The State of Bihar & Ors …... Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	18.8.2025	see below	

आदेश

यह अपील वाद भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, फारबिसगंज, अररिया द्वारा BLDR Case No. 147/2022-23 में दिनांक-22.5.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षीगण की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है।

प्रश्नगत जमीन की विवरणी निम्नानुसार है :-

अंचल	मौजा/ थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
भरगामा	रामपुर आदि/82	474	112	96 डी0

दिनांक-31.7.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षीगण का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। विपक्षीगण की ओर से Written Note of Argument दाखिल है। अपीलार्थी का दावा है कि प्रश्नगत जमीन सहित अन्य जमीन उनके द्वारा खतियानी रैयत लेलहु यादव के पुत्र जलधर यादव से निबंधित केवाला द्वारा क्रय किया गया है। जबकि विपक्षीगण द्वारा प्रश्नगत जमीन पर जमाबंदी रैयत खखनु यादव, पिता-कारी यादव के वारिसान होने के आधार पर दावा किया जा रहा है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों- वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि अपीलार्थी द्वारा निबंधित केवाला के माध्यम से प्रश्नगत जमीन खतियानी रैयत के पुत्र से क्रय करने जबकि विपक्षीगण द्वारा जमाबंदी रैयत के वारिसान होने के आधार पर प्रश्नगत जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं। Indian Succession Act के प्रावधानों के आलोक में बिक्री करने वाले व्यक्ति का Title/Right का निर्धारण किये बिना क्रय करने वाले व्यक्ति का Title/Right की विवेचना किया जाना संभव नहीं है। अतः इस विवाद का निराकरण सक्षम न्यायालय (Civil Court) के समक्ष Title Suit में ही हो सकता है।

निम्न न्यायालय (भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज) के स्तर से संगत कानूनी बिन्दुओं की समीक्षा किये बिना ही विपक्षी का Right निर्धारित करते हुए अपीलाधीन आदेश (22.5.2023) पारित किया गया है, जो विधिमान्य नहीं है।

अतः निम्न न्यायालय (भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज) द्वारा BLDR Case No.-147/ 2022-23 में पारित आदेश (22.5.2023) को खारिज करते हुए सक्षम न्यायालय (Civil Court) के स्तर से Title निर्धारित होने तक Status quo (राजस्व अभिलेख तथा सरजमीन पर) Maintain करने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।

18/8/2025.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया

लेखापित एवं शुद्धित।

18/8/2025.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया